बीआरपीएल की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं

SYNERGY

BSES
BSES Rajdhani Power Limited

... दिल्ली सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम

अगस्त–2015

सुरक्षा चेतावनीः अपने मकानों और बिजली के तारों आदि के बीच रखें उचित दूरी

दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। विभिन्न कंपनियों में आवासीय और अनाधिकृत निर्माण/विस्तार, खतरनाक तरीके से बिजली कंपनी के मौजूदा ओवरहेड लो वोल्टेज (एलवी), हाई वोल्टेज (एचवी) और एक्स्ट्रा हाई वोलटेज (ईएचवी) लाइनों तथा अन्य बिजली उपकरणों के नीचे व निकट आ रही हैं। ये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) (सेफ्टी और इलेक्ट्रिक सप्लाई, 2010 उपायों) के रेग्युलेशन 60 और 61 का पूरा उल्लंघन है।

भवनों के विस्तार, ढांचों,प्रोजेक्शंस, बालकनियों, छज्जों अथवा चारदीवारियों आदि को बिजली ढांचों व उपकरणों से न्यूनतम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दूरी अवश्य बनाएं रखना है। निर्धारित रेग्युलेशन निम्नवत है।

क्रम संख्या	लाइन/अन्य चीजें	वर्टिकलः न्यूनतम उचित दूरी जहां लाइन किसी बिल्डिंग/ढांचे/बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है	हॉरिजॉन्टलः न्यूमतम सममतल दूरी जहां लाइन किसी बिल्डिंग/ढांचे/बालकनी आदि के निकट से गुजरती है
1.	कम से मध्यम वोल्टेज लाइन तथा 650 वोल्ट तक की सर्विस लाइन	उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
2.	उच्च वोल्टेज लाइन 11000 वोल्ट तक व सहित	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट स 1.2 मीटर
3.	उच्च वोल्टेज लाइन 11000 वोल्ट से अधिक तथा 33000 वोल्ट तक व सहित	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट स 2 मीटर
4.	बहुत ज्यादा उच्च वोल्टेज लाइन 33000 वोल्ट से ऊपर	3.7 मीटर (और 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)	2 मीटर (और 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)

ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं ताकि किसी बड़ी और गंभीर दुर्घटना और बिजली बाधा को रोका जा सके।

बीएसईएस एक बार फिर से ऐसे अनाधिकृत निर्माण के मालिकों से अपील करती है कि वे तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी और अनाधिकृत निर्माण को बिजली ढांचों और उपकरणों के पास से हटा लें। रेग्युलेशन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तिगत तौर पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से किसी प्रकार के नुकसान (जान–माल आदि) के लिए जिम्मेदार होंगे और कानूनी कार्रवाई के भागीदार होंगे।

अब अपने मोबाइल ऐप से बिजली गुल की शिकायत दर्ज करें

अव बीआरपीएल के उपभोक्ताओं को डिस्कॉम के 24 घंटे और सातों दिन कार्यरत कॉल सेंटर पर बिजली गुल की शिकायत दर्ज कराने के लिए कॉल करने की जरुरत नहीं है। अब आप अपनी शिकायतें नई मोबइल ऐप जो आपके स्मार्ट फोन पर उपलब्ध है, के जरिए दर्ज करा सकते हैं।

''बीएसईएस ऐप'' नामक इस मोबाइल ऐप के जरिए बीआरपीएल के उपभोक्ता आसानी से ''बिजली गुल'' ''स्ट्रीट लाइट'' और ''आपातकालीन (आग और दुर्घटना)'' संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

शुरुआत में यह सुविधा एंड्रॉयड फोन पर उपलब्ध है। उपभोक्ता बीएसईएस की वेबसाइट www.bsesdelhi.com से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जोकि कंजयुमर सर्पोट सेक्शन पर उपलब्ध है। गूगल प्ले से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

सुरक्षित रहें, बिजली उपकरणों से दूर पतंगबाजी करें

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में बड़े पैमाने पतंगबाजी इसका अभिन्न हिस्सा है। लेकिन कभी – कभार इसकी वजह से भारी नुकसान और खतरा पैदा हो जाता है। यह जानलेवा भी हो जाता हे। मेटल–युक्त मांझे, जो ऊर्जा का सुचालाक है, के इस्तेमाल से न सिर्फ पतंग उड़ाने वाले की जान को जोखिम हो सकता है बल्कि आपके इलाके की बिजली आपूर्ति भी बाधित हो सकती है।

बिजली चोरी कानूनी अपराध

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अनाधिकृत एवं गैर कानूनी तरीके से बिजली का इस्तेमाल करना जुर्म है। इस अधिनियम के तहत भारी जुर्माने का प्रावधान है। यह गैर जमानती अपराध है जिसके तहत तीन साल तक जेल की सजा / जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। दो जुर्मो में सजा पांच साल तक हो सकती है।

ईमानदार उपभोक्ता होने के नाते, बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में बीआरपीएल की मदद करें। बिजली चोरी की सूचना 399–99–707 पर दे सकते हैं। आपकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।

Send in your feedback to Corporate Communications, BSES Rajdhani Power Limited, Regd. Off: BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi - 110019
CIN No U74899DL2001PLC111527, Tel No +91 11 399-99-707, Website www.bsesdelhi.com
To advertise in Synergy, please call Twohmp at 9899903232 or email : direct@twohmp.in
BSES Rajdhani Power Limited is not legally responsible for the contents of the advertisements in Synergy

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
punjab national bank ...the name you can BANK upon !

गर्मी से राहत...

पीएनबी मानसून बोनान्ज़ा
मकान एवं कार लोन के लिए

कोई अपफ्रन्ट/प्रोसेसिंग शुल्क नहीं
कोई डॉक्यूमेंटेशन शुल्क नहीं

- न्यूनतम ब्याज दर
- पुनर्भुगतान के लिए सबसे लम्बी अवधि
- ब्याज दैनिक घटते हुए बैलेंस/शेष पर

ऑफर सीमित समय के लिए 1 जून 2015 से शुरु

शर्तें लागू

सावधान : बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड की जानकारी तथा पिन/सीवीवी/ओटीपी पासवर्ड नहीं पूछते, जाली फोनों से सावधान।

अधिक जानकारी के लिए पीएनबी की निकटतम शाखा से सम्पर्क करें या 1800 103 2222 / 1800 180 2222 पर डायल करें या कॉल सेंटर में 0120–2490000 पर सम्पर्क करें अथवा 5607040 पर एसएमएस <pnb prod> करें www.pnbindia.in